माननीय अध्यक्ष
झारखंड विधानसभा
राँची ।

विषय : श्री स्टीफन मरांडी, वित्त मंत्री, झारखंड सरकार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना संदर्भ मा. विधानसभा सचिवालय का पत्र संख्या-वि. स. विशेष-4/2007-2904/वि.स. ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मेरे पत्र संख्या-शून्य, दिनांक 22.3.2007, पत्र संख्या-अ.म./328/07, दिनांक 31.5.2007 और पत्र संख्या-अ.म./327/07, दिनांक 10.5.07 का कृपया अवलोकन करेंगे । माननीय वित्त मंत्री द्वारा इस संबंध में भवदीय को दिनांक 25.4.07 को अपना स्पष्टीकरण दिया गया था । जिसके प्रत्युत्तर में मैंने दिनांक 18.5.07 के प्रत्युत्तर में मानननीय वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक साबित किया था तथा 31.5.07 के अपने पत्र में विधान मंडल के वित्तीय कार्यो, भारत का संविधान के प्रासंगिक उद्धरणों तथा बजट मैन्युअल आदि के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख किया था तदुपरांत माननीय वित्त मंत्री द्वारा भवदीय को प्रेषित एक पत्र की प्रति मुझे झारखंड विधानसभा सचिवालय के पत्र सं.-वि. स. विशेष-4/07-2904/वि.स. द्वारा अपना मंतव्य सभा सचिवालय को भेजने के निर्देश के साथ प्रेषित किया गया है ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने अपनी भूल स्वीकार करने के बदले पुनः पुराने स्पष्टीकरण को ही नये रूप में प्रेषित किया है। उन्होंने मेरे 18.5.07 के पत्र में मुख्य शीर्ष 2235 के बारे में स्पष्टीकरण दिया है जो स्वीकार्य है । परंतु मेरे पत्र की कंडिका-4 में मुख्य शीर्ष 2245 में अंकित अनुदान की मांगेां में अंकित 49107. 00 लाख रुपये का व्यय और वार्षिक बजट के पृष्ठ-8 पर इसी मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत 28838.50 लाख रुपये के व्यय की भिन्नता के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । जबकि मैंने आय-व्यय गैर योजना (विस्तृत) में दर्शाये प्रासंगिक व्यय विवरण का भी उल्लेख किया है ।

इसी तरह उन्होंने लोकलेखा के अन्तर्गत उचंत खाता में मांग संख्या-03 और मांग संख्या-41 के क्रमशः 20 लाख रुपये और 40 लाख रुपये का समंजन नहीं दर्शाने के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । उन्होंने 18.5.07 के मेरे पत्र की विभिन्न कंडिकाओं में उठाये गये किसी अन्य प्रश्न का भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । विधान मंडल की वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में मेरे 31.5.07 के पत्र में अंकित व्याख्याओं को भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है क्योंकि इससे उनकी भूल और बजट प्रक्रिया की अनियमितायें उजागर हो जाती है ।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री का स्पष्टीकरण घोर असंतोषजनक है । झारखंड विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2007 के पृष्ठ-2 की कंडिका-2 से मैं हू-ब-हू उद्धित करना चाहता हूँ ।

कंडिका–2 **2007–2008 वर्ष के लिए झारखंड राज्य की संचित निधि में से 1,66,03,80,14,963 (एक खरब छियासठ अरब तीन करोड़ अस्सी लाख चौदह हजार नौ सौ तीरसठ) रुपये की निकासी ।**

झारखंड राज्य की संचित निधि में से अनुसूचित के स्तंभ–2 में उल्लेखित सेवाओं के बारे में, 1 अप्रैल 2007 को शुरु होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 1,66,03,80,14,963 (एक खरब छियासठ अरब तीन करोड़ अस्सी लाख चौदह हजार नौ सौ तीरसठ) रुपये की जो अनुसूचित के स्तंभ–6 में उल्लेखित राशियों से अधिक ना होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

इससे स्पष्ट है कि इस विधेयक द्वारा इसके भार साधक सदस्य श्री स्टीफन मरांडी ने कुल 1,66,03,80,14,963 रुपये व्यय करने की अनुमति विधानसभा से प्राप्त किया है । जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण 2007–08 के पृष्ठ–21 पर इन्होंने राज्य के समेकित नीति से केवल 1,64,00,51,66,000 रुपये व्यय ही दिखाया है । अनुदान की मांगों को सकल एवं निवल की आड़ में उनके द्वारा उचित ठहराया जाना कतई वाजिब नहीं है । यह एक भूल है या तो उन्हें इसे स्वीकार करना चाहिए या विशेषाधिकार हनन का सामना करना चाहिए ।

संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया कॉल एवं शकधर के पृष्ठ–5811 पर प्रत्यक्ष गलतियों की शुद्धि शीर्षक से शुद्धि पत्र निर्गत करने के बारे में कहा गया है कि ''किसी विधेयक के स्थापित रूप में या किसी प्रवर या संयुक्त समिति के द्वारा प्रतिवेदित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत संशोधनों के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयक का शुद्धि पत्र निकालकर विधेयक के किसी प्रक्रम में छपाई की या लिपिक की किसी प्रत्यक्ष गलती में शुद्धि कर सकता है ।'' मेरे द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.स.–17 के उत्तर में दिनांक 17.8.07 को वित्त मंत्री प्रो. मरांडी ने उत्तर दिया है कि– ''वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2007–08 के अनुदानों की मांग तथा विनियोग विधेयक में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया गया है । टंकण तथा लिपकीय भूल के कारण योजना एवं गैर योजना बजट (विस्तृत) में शुद्धि–पत्र निर्गत किये गये हैं। इन शुद्धि–पत्रों से अनुदानों की मांगों/विनियोग विधेयक के योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि टंकण तथा लिपिकीय भूल के कारण उनके स्तर से ही शुद्धि–पत्र निर्गत कर दिया गया है जिसका अधिकार उन्हें नहीं है । संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया (कॉल एवं शकधर पृष्ठ–582) के अनुसार **''सभा द्वारा स्वीकार किए गए किसी संशोधन में शुद्धि के जरिए शब्दों का प्रतिस्थापन तभी अनुमत्य है जबकि सभा उसके लिए प्राधिकार दे दें । यह उचित नहीं है कि किसी खंड के**

शब्द विन्यास को बदल दिया जाये, क्योंकि यह तो विधान बनाने के बराबर हो जाएगा ।'' इससे स्पष्ट है कि मरे अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने योजना एवं गैर योजना बजट (विस्तृत) में टंकण एवं लिपिकीय भूल के कारण जो शुद्धि-पत्र जारी करना स्वीकार किया है उसके लिए विधानसभा ही सक्षम है और उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है । वित्त मंत्री की यह अनाधिकार चेष्टा सदन की अवमानना है ।

माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा से मेरा यह निवेदन होगा कि वित्त मंत्री के विरुद्ध सदन की अवमानना की कार्रवाई आरम्भ करें और उनके द्वारा अपने स्तर से योजना एवं गैर योजना बजट (विस्तृत) में निर्गत किए गए शुद्धि-पत्र को सदन पटल पर रखने का निर्देश दें ताकि यह पता चल सके कि शुद्धियों का प्रभाव बजट पर क्या पड़ा है ?

अनुरोध है कि उपर्युक्त विषय में मुझे नहीं लगता है कि माननीय वित्त मंत्री से किसी प्रकार के अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । आश्चर्य तो यह है कि अपनी भूल स्वीकार करने के बदले वे इसका औचित्य ठहराने पर दृढ़ हैं और इसके लिए अस्वीकार्य तर्कों का सहारा ले रहे हैं । अतः माननीय अध्यक्ष महोदय को तथ्यों के आलोक में वित्त मंत्री के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए ।

सादर,

भवदीय

(सरयू राय)